क्रमांक 3328700 / 19 / 2020

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष 2552646,2552878 Fax-2552406,Email ID-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 24/10 / 2020

प्रति,

1. श्री डी0डी0बाडवे,
अनुविभागीय अधिकारी,
कार्यालय–अनुविभागीय अधिकारी,
राजीव सागर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक 4,
कटगी, जिला– बालाघाट

2. श्री व्ही0के0 पटले,
उपयंत्री,
कार्यालय–अनुविभागीय अधिकारी,
राजीव सागर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक 4,
कटगी, जिला– बालाघाट

व्दारा– मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी।

विषय– विभागीय जांच विरूद्ध श्री व्ही.के. पटले, उपयंत्री एवं अन्य।

इस कार्यालय व्दारा आपके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपके विरूद्ध लगाये गये आरोप पत्रादि आरोपों से संबंधित अभिकथन पत्रक, दस्तावेजों तथा गवाहों की सूची संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आप अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय को भेजें तथा सूचित करें कि इस संबंध में क्या आप मौखिक जांच चाहते है या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है, तथा प्रतिरक्षण में मौखिक या लेखी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि प्रतिरक्षण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों की सूची, जिन्हें आप प्रतिरक्षण में प्रस्तुत करेंगे, को भी अपने लिखित उत्तर के साथ प्रस्तुत करें, यदि आप आरोपों से संबंधित अभिलेख देखना चाहते हैं तो **मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी** के कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं ।

3. विभागीय जांच के प्रयोजन के लिये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील नियम 1966) के नियम 14 के अंतर्गत यह निर्णय लिया है कि:–

1. विभागीय जाच के प्रयोजन के लिये प्रमुख अभियंता ही अनुशासनिक अधिकारी होगा ।
2. प्रमुख अभियंता को अधिकार होगा कि आपके विरूद्ध नियम 10 के तहत कोई भी दण्डादेश पारित कर सके ।
3. इस जांच के नियम 14 एवं 15 के अनुसार प्रकिया अपनाई जावेगी ।
4. यदि निर्धारित समयावधि में आपसे लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावेगी ।

सहपत्र–उपरोक्तानुसार।

23.10.20
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग

..........2

D-3328700-19-20 A.P.

पृ.क. 3328700/19/2020 भोपाल, दिनांक 24/10/2020

प्रतिलिपि–

1. अवर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी। कृपया संबंधित को तत्काल आरोप पत्र सौंपकर उनसे प्राप्त पावती इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, बालाघाट।
4. कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग कमांक–3, कटनी।
5. संबंधित श्री .... द्वारा स.कं.–2.
6. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन भवन, भोपाल को विभागीय बेवसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।

सहपत्रः– आरोपपत्रादि सरल कमांक–2 के लिए।

23.10.20
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग

D-3328700-19-20 A.P.